न्यायालय, भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 10/2020

GCMS NO. : 2020/00015

–: प्रार्थी:– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

1. अदरीम पुत्र करीमबक्ष
2. इमामुदीन पुत्र करीमबक्ष
   कौम– ब्यौपारी, निवासीगण– लाम्बिया,
   तहसील जैतारण, जिला– पाली।

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू0 राज0 अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 22/01/2020

उपस्थित:– 1. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।
2. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 12/08/2021

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू0 राज0 अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि मौजा–लाम्बियां, पटवार हल्का लाम्बियां, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 656 का मिशल बदोबस्त (भू–प्रबंध सम्वत् 2011–2030) अनुसार कुल रकबा 134–04 बीघा हैं। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज उक्त खसरा नम्बरान् के बट्टा नम्बर सहित खातेदारानों का कुल रकबा 136–11 बीघा दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वक्त भू–प्रबंध सरकारी थी। कालान्तर में इस भूमि का आबंटन/नियमन किया गया था। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 656 का रकबा बट्टा नम्बर सहित भू–प्रबंध के रकबे से 02–07 बीघा भूमि अधिक दर्ज हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में संलग्न प्रपत्र के विशेष विवरण के कॉलम में दर्ज नियमन/आबंटन की दिनांक क्रमानुसार निम्नानुसार बताई।

1. दिनांक 23/07/1962 को एक व्यक्ति को 10–00 बीघा भूमि का आबंटन किया गया।
2. दिनांक 02/08/1965 को एक व्यक्ति को 11–06 बीघा भूमि आबंटन की गई।
3. दिनांक 31/12/1967 को दो व्यक्तियों को 21–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।
4. दिनांक 17/06/1968 को एक व्यक्ति को 10–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।
5. दिनांक 19/04/1969 को एक व्यक्ति को 07–15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।
6. दिनांक 04/07/1969 को दो व्यक्तियों को 35–12 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।
7. दिनांक 22/06/1970 को दो व्यक्तियों को 20–00 बीघा भूमि का आंवटन किया गया।

इस प्रकार दिनांक 22/06/1970 तक 113–14 बीघा भूमि का आवंटन/नियमन किया जा चुका था। दिनांक 22/06/1970 को आवंटन/नियमन के पश्चात् 21–10 बीघा भूमि ही आवंटन/नियमन योग्य शेष रही थी।

8. दिनांक 06.06.1971 को दो व्यक्तियों 1. इस्माईल पुत्र मोहम्[illegible] को [illegible]17 बीघा व करीमबक्ष पुत्र जुर मोहम्मद को 05–00 बीघा [illegible] बीघा का आवंटन कर दिया गया।
9. इसी प्रकार दिनांक 06/06/1971 को 02–07 बीघा भूमि का अधि[illegible] आवंटन कर दिया गया।

इस प्रकार पटवारी कार्यालय में उपलब्ध आदेश पुस्तिका व नामान्तरकरणें में दर्ज आदेशों को दिनांक अनुसार आवंटन/नियमन का क्रम इस प्रकार रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1. दिनांक 23/07/1962
2. दिनांक 02/08/1965
3. दिनांक 31/12/1967
4. दिनांक 17/06/1968
5. दिनांक 19/04/1969
6. दिनांक 04/07/1969
7. दिनांक 22.06.1970
8. दिनांक 06.06.1971

प्रार्थी ने निवेदन किया कि पश्चात्वर्ती आबंटन/नियमन के रकबें को वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व मिशल बंदोबस्त (भू-प्रबंध) रकबें को डीआईएलआरएमपी योजना के अंतर्गत समरूप मिलान करने हेतु कम किया जाना आवश्यक हैं, क्योकि इसके बिना भू नक्शा में तरमीम किया जाना संभव नहीं है तथा मूल खसरे का वक्त बन्दोबस्त के मूल रकबे एवं उससे बने सभी नवीन वर्तमान खसरान् की भूमि का कुल वर्तमान रकबा एक समान होना आवश्यक है। वर्तमान भू अभिलेख में दर्ज अधिशेष भूमि काल्पनिक, आधारहीन प्रविष्टि है जिसके कारण भू अभिलेख में त्रुटि उत्पन्न हो गई है। अतः इस हेतु वर्तमान जमाबंदी में दर्ज निम्नानुसार खसरा नम्बरान् के खातेदारों का रकबा कम कराने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया :-

क्र. स.	खसरा नम्बर	नाम
1	656/1	रकबा 22-12 बीघा(जो करीमबक्ष पुत्र जुर मोहम्मद को दिनांक 31/12/167 को 15-00 बीघा, दिनांक 04/07/1969 को 02-12 बीघा एवं 06/06/1976 को 05-00 बीघा कुल 22-12 बीघा) भूमि आवंटित हुई थी। वर्तमान में करीमबक्ष के उत्तराधिकारी अदरीम ईमामुदीन पिता करीमबक्ष के नाम दर्ज है। चुंकि करीबक्ष को पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 06/06/1971 को 05-00 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। जबकि उस समय 02-13 बीघा भूमि ही शेष थी। अतः वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 656/1 कुल रकबा 22-12 बीघा के स्थान पर 20-05 बीघा सही दर्ज कराने के आदेश दिलाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा जो डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध मनमाने ढंग से की गई कार्यवाही [illegible] है। उक्त कार्यवाही इनके न्यायिक हितों के खिलाफ होगी। अतः डी.आई.[illegible]आर.[illegible]पी. योजना के अन्तर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया अपना कर पश्चातवर्ती आ[illegible] के खिलाफ [illegible] से की गई कार्यवाही गैर कानूनी जबकि मूल खसरा संख्या [illegible] बीघा में अन्य पूर्ववर्ती आवंटी है उनको इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। जिससे प्रति[illegible]दी के रेकर्ड में रकबा कम हो जायेगा और इनके हित व हकूक प्रभावी होगें व सदा के लिये खत्म हो जायेगें। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने पिताजी के समय से आज दिन तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। मौके पर फसल बोई हुई है। चिरकाल बिना किसी व्यवधान के शान्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पूर्वक उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ की गई कार्यवाही ही प्रतिवादी संख्या एक अस्वीकार करते है। बहस वकील अप्रार्थीगण व सरकारी पैरोकार की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बहस विद्वान वकील अप्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. खतौनी बंदोबस्त संवत 2011-2030, ग्राम लाम्बिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 656 रकबा 134-04 बीघा किस्म बारानी दोयम सिवाय चक खाता सरकार दर्ज है।

2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नामान्तरण पंजिका, भूमि आवंटन आदेश पुस्तिका, खतौनी बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी ग्राम लाम्बिया के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं सलाहकार समिति द्वारा कृषि भूमि आवंटन हेतू उपलब्ध खसरा संख्या 656 के कुल रकबे 134-04 में से समय-समय पर निम्नानुसार भूमि आवंटन किया गया:-

क्र. स.	भूमि आवंटन/नियमन दिनांक	आवंटी का नाम	आवंटित भूमि का रकबा	शेष भूमि
1.	23.07.1962	अब्दुल गफूर पुत्र इब्राहीम कौम व्यौपारी	10-00 बीघा	124-04 बीघा
2.	02.08.1965	हमीर पुत्र सुल्तान गुजैर	11-06 बीघा	112-18 बीघा
3.	31.12.1967	करीम पुत्र जूर मोहम्मद कौम व्यौपारी	15-00 बीघा	97-18 बीघा
4.	31.12.1967	नूर मोहम्मद पुत्र खुदाबक्स कौम व्यौपारी	06-00 बीघा	91-18 बीघा
5.	17.06.1968	कालूराम पुत्र गुलाब खां कौम भाट	10-00 बीघा	81-18 बीघा
6.	19.04.1969	कालूराम पुत्र मुल्तान गूर्जर	04-16 बीघा	77-02 बीघा
7.	04.07.1969	खुदाबक्ष पुत्र दौलाबक्ष कौम व्यौपारी	33-00 बीघा	44-02 बीघा
8.	04.07.1969	करीमबक्ष पुत्र जूर मोहम्मद कौम व्यौपारी	02-12 बीघा	41-10 बीघा
9.	22.06.1970	धन्ना पुत्र लच्छा कौम रेगर	10-00 बीघा	31-10 बीघा
10.	22.06.1970	मंगा पुत्र लच्छा कौम रेगर	10-00 बीघा	21-10 बीघा
11.	06.06.1971	इस्माईल पुत्र जूर मोहम्मद	18-17 बीघा	02-13 बीघा
12.	06.06.1971	करीमबक्ष पुत्र जूर मोहम्मद	05-00 बीघा	- 02-07 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.06.1970 को मंगा पुत्र लच्छा कौम रेगर को 10-00 बीघा भूमि आवंटन उपरांत खसरा संख्या 656 में कुल 21-10 बीघा भूमि ही शेष रही थी, जो आवंटन के लिये उपलब्ध थी, परन्तु दिनांक 06.06.1971 को एक ही दिन में किये गये दो पश्चातवर्ती आवंटन क्रमशः 1. इस्माईल पुत्र जूर मोहम्मद को 18-17 बीघा तथा 2. करीमबक्ष पुत्र जूर मोहम्मद को 05-00 बीघा कुल 23-17 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई, जो कि खसरा संख्या 656 में तत्समय् आवंटन हेतु उपलब्ध अधिशेष कुल भूमि 21-10 बीघा से 02-07 बीघा अधिक है। इस प्रकार उक्त अधिशेष/बेसी 02-07 बीघा भूमि काल्पनिक एवं अनुपलब्ध है तथा इस सीमा तक किया ऐसा किसी प्रकार आवंटन/नियमन या हस्तान्तरण या इस बाबत् की गई कोई प्रविष्टि/पारित आदेश आरम्भतः शून्य(Ab intio null & void) होता है तथा ऐसे बेसी/काल्पनिक एवं आरम्भतः शून्य आवंटन से भू अभिलेख में उत्पन्न त्रुटि को शुद्ध किया जाना आवश्यक एवं पूर्णतया विधि संगत है। आरम्भतः शून्य प्रविष्टियों को किसी भी स्तर पर किसी भी समय दुरूस्त किया जा सकता है तथा किया जाना ही चाहिये।

3. पश्चतावर्ती आवंटन दिनांक 06.06.1971 को करीमबक्ष पुत्र जूर मोहम्मद एवं इस्माईल पुत्र जूर मोहम्मद को किया गया। परन्तु इसी खसरे में आवंटी करीमबक्ष पुत्र जुर मोहम्मद को पूर्व में भी भूमि आवंटित की गई थी, तथा करीमबक्ष को आवंटित समस्त भूमि वर्तमान में खसरा संख्या 656/1 रकबा 22-12 बीघा आवंटी के वारीसान अदरीम, इमामुदीन पि0 करीमबक्ष के नाम दर्ज है। अतः पश्चतवर्ती आवंटन के द्वारा किया गया कुल बेसी आवंटन 02-07 बीघा भूमि वर्तमान भू अभिलेख में खसरा संख्या 656/1 की भूमि में सम्मलित है। जिस में से उक्त बेसी आवंटन कम किया जाना भू अभिलेख को शुद्ध किये जाने के लिये कानूनन आवश्यक है।

6. वर्तमान में प्रदेश में भू अभिलेख(जमाबन्दी एवं नक्शा) का डिजिटाईजेशन हेतु फ्लैगशिप कार्यक्रम डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के अन्तर्गत समस्त भू अभिलेख ऑनलाईन एवं डिजिटाईज किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जमाबन्दी एवं भू नक्शा का मिलान आवश्यक है। उपर्युक्त खसरा संख्या 656 में पश्चातवर्ती बेसी आवंटन दिनांक 06.06.1971 जिसके द्वारा कुल 02-07 बीघा भूमि जमाबन्दी में अधिक होनें के कारण खसरा संख्या 656 से बने समस्त खसरान् की भूमि की तरमीम भू नक्शा में नहीं की जा सकती है। राजस्व विभाग ग्रुप-6 राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या No.F.4(1)Rev-6/06Pt/35 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा तहसील जैतारण को ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 656/1 से 656/9 को छोड़ते हुये भू अभिलेख को ऑनलाईन अधिसूचित किया जा चुका है तथा जब तक खसरा संख्या 656 के मूल और वर्तमान रकबा एकसमान नहीं हो जाता तब तक भू अभिलेख में तरमीम नहीं हो सकती तथा इसके अभाव में उक्त खसरान् की भूमि ऑनलाईन नॉटिफाईड नहीं की जा सकती।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आध[illegible]त है कि ग्राम लाम्बिया के मूल भू प्रबन्ध खसरा संख्या 656 मूल कुल [illegible]-04 बीघा में से पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 06.06.1971 को आवंटी करीमबक्ष [illegible] मोहम्मद को 05-00 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जो [illegible] खसरा संख्या में आवंटन के लिये उपलब्ध कुल भूमि 02-13 बीघा से 02-07 बीघा अ[illegible]क/बेसी आवंटन है जो कि बेसी आवंटन की सीमा तक काल्पनिक एवं आधारहीन तथा त्रुटिपूर्ण है जो कि आरम्भतः प्रभाव शून्य है तथा इसके कारण भू अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि की शुद्धि के लिये उपर्युक्त आवंटी को आवंटित भूमि का वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

656/1 रकबा 22-12 बीघा में से 02-07 बीघा अधिशेष/बेसी भूमि कम करते हुये शेष प्रविष्टियों को यथावत रखते हुये भू अभिलेख में शुद्धि किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक समझते है, साथ ही शुद्धि उपरांत खसरा संख्या 656 से निर्मित समस्त खसरान् की भूमि की तरमीम भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है।

-: आदेश :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार जैतारण अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसील जैतारण ग्राम लाम्बिया के मूल भू प्रबन्ध खसरा संख्या 656 मूल कुल रकबा 134-04 बीघा में से पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 06.06.1971 को आवंटी करीमबक्ष पुत्र जूर मोहम्मद को 05-00 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जो कि तत्समय् उक्त खसरा संख्या में आवंटन के लिये उपलब्ध कुल भूमि 02-13 बीघा से 02-07 बीघा अधिक/बेसी आवंटन है जो कि बेसी आवंटन की सीमा तक काल्पनिक एवं आधारहीन तथा त्रुटिपूर्ण है जो कि आरम्भतः प्रभाव शून्य है तथा इसके कारण भू अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि की शुद्धि के लिये उपर्युक्त आवंटी को आवंटित भूमि का वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 656/1 रकबा 02-12 बीघा जो कि वर्तमान में आवंटी के वारिसान के नाम दर्ज है, में से 02-07 बीघा अधिशेष/बेसी भूमि कम करते हुये तथा शेष प्रविष्टियों को यथावत रखते हुये इसी मुताबिक भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को शुद्ध किये जानें तथा इसी मुताबिक भू नक्शे में मूल खसरा संख्या 656 से निर्मित समस्त खसरान् की भूमि की भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत तरमीम किये जानें हेतु पटवारी पटवार हल्का लाम्बिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत लाम्बिया को निर्देश दिये जाते है। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/08/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:31 IST
Reason: SelfAttested

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)